अपील क्रमांक 195/बो.प्र./नि.स./2024
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक /02/2024

अपील प्रकरण क्रमांक 195/बो.प्र./नि.स./2024

अपीलार्थी		**उत्तरवादी**
श्री जितेन्द्र कुमार साहू RTI कार्यकर्ता, पथर्रीपारा, साहू बस्ती वार्ड क्रं.–17, विद्युत गुह स्कूल के पास कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) पिन 496577 मो.नं. 9179697845	**विरूद्ध**	श्री के.के. मित्तल जनसूचना अधिकारी,कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 23.02.2024

1. आवेदक/अपीलार्थी श्री जितेन्द्र कुमार साहू अनुपस्थित।,
2. जनसूचना अधिकारी श्री के.के. मित्तल उपस्थित।
3. प्रकरण संक्षेप :–

(i) आवेदक/अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री नयन चौधरी, उप अभियंता के पद पर कोरबा जिला में पदस्थ, कि प्रथम नियुक्ति आदेश, पदोन्नति आदेश एवं उप अभियंता के पद पर कार्य करने के लिए जमा किये गये समस्त दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 26.12.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो इस कार्यालय का आवक क्रमांक 01 दिनांक 1.1.2024 को प्राप्त हुआ।

(ii) जनसूचना अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/143,, दिनांक 04.01.2024 द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया कि चाही गई वांछित जानकारी कुल 14 पृष्ठों में समाहित है जो रू. 28/– जमा कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा पत्र क्रमांक 13041/2024, दिनांक 09.01.24 द्वारा भारतीय ई–स्टाम्प क्रमांक 0015243391 द्वारा प्रदत्त सूचना शुल्क रू. 28.00 जमा किया गया। तत्पश्चात जनसूचना अधिकारी द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/516, दिनांक 17.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी सत्यापित कर पंजीकृत डाक से प्रदाय किया गया।

(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने उल्लेख किया गया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी जानकारी दिये जाने के कारण आवेदक द्वारा असंतुष्ट होकर दिनांक 05.02.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 23.02.2024 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। इसमें उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया।

4. सुनवाई दिनांक 23.02.2024 को आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी जानकारी दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदक/अपीलार्थी द्वारा अपने प्रथम अपील आवेदन पत्र में जनसूचना अधिकारी से पूरी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया है।

5. जनसूचना अधिकारी द्वारा आज दिनांक 23.02.2024 को सुनवाई में उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदक/अपीलार्थी का आवेदन पत्र आवक क्र. 01 दिनांक 01.01.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती स्थापना कक्ष को दिनांक 01.01.2024 को प्रस्तुत किया गया। नस्ती स्थापना कक्ष से दिनांक 04.01.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 14 पृष्ठों में समाहित है, जो रू. 28/– जमा कर प्राप्त की जा सकती है। उक्त टीप के आधार पर अपीलार्थी को शुल्क जमा करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/143, दिनांक 04.01.2024 को पंजीकृत डाक से पत्र द्वारा सूचित किया गया। उक्त पत्र के परिपालन में आवेदक/अपीलार्थी द्वारा पत्र क्रमांक 13041/2024, दिनांक 09.01.24 द्वारा भारतीय ई–स्टाम्प क्रमांक 0015243391 द्वारा प्रदत्त सूचना शुल्क रू. 28.00 जमा किया गया। तत्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/516, दिनांक 17.01.2024 द्वारा अपीलार्थी को वांछित जानकारी सत्यापित कर पंजीकृत डाक से प्रदाय किया गया एवं अन्य जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के वर्ग (डी) और (जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये जाने का प्रावधन नहीं है।

6. (i) जनसूचना अधिकारी ने नियत अवधि से पूर्व आवेदक/अपीलार्थी को विस्तृत रूप से सूचित किया था।
(ii) आवेदक/अपीलार्थी को यह स्पष्ट किया जा चुका था कि संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/143, दिनांक 04.01.2024 द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।
(iii) आवेदक/अपीलार्थी ने अधूरी जानकारी देने से असंतुष्ट होकर दिनांक 05.02.2024 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया था, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.02.2024 को प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्राप्त हुआ। प्रकरण की सुनवाई दिनांक 23.02.2024 को समय दोपहर 12.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित किया गया। जिसमें आवेदक/अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।

7. जनसूचना अधिकारी ने नियत समय सूचना, निर्धारित अवधि में दी थी। जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदक/अपीलार्थी को संबंधित कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/01/छ.ग./2024/516, दिनांक 17.01.2024 द्वारा वांछित जानकारी आवेदक/अपीलार्थी को पंजीकृत डाक द्वारा प्रदान किया गया एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 की उप धारा (1) के वर्ग (डी) और (जे) के तहत व्यक्तिगत जानकारी होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये जाने का प्रावधन नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि जनसूचना अधिकारी ने नियमानुसार निर्धारित अवधि में कार्य किया है। अतः अपील निराकृत।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते है।

सही/-

(अरूण कुमार साय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

G:\RTI\Apeel No. 195\letter-195.docx

पृ.क्रं. / 195 / बो.प्र. / नि.स. / 2024 / 1642 रायपुर, दिनांक 23 / 02 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री के.के. मित्तल, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. **श्री जितेन्द्र कुमार साहू,** RTI कार्यकर्ता, पथर्रीपारा, साहू बस्ती वार्ड क्रं.–17, विद्युत गुह स्कूल के पास कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.) पिन 496577
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अ.कु.साय

(अरूण कुमार साय)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)